राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 1627/2015 व 1628/2015..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुंझनूं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

05/11/2015

अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 61/2015–16 व 62/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.10.2015 के वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.08.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 से सृजित मांग की वसूली को आंशिक रूप से स्थगित किया है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी, जो कि होटल व्यवसाय करता है, द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान **'कुक्ड फूड'** की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, साथ ही सर्विस टैक्स भी अदा नहीं किया गया है। अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का विभागीय अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण करने के उपरान्त, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई को हैरिटेज होटल व थ्री स्टार कैटेगरी में मानते हुए, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2014–78 दिनांक 30.07.2014 की प्रविष्ठि संख्या 202 के अनुसार कुक्ड फूड पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए 9/9.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। साथ ही विक्रय राशि पर सर्विस टैक्स का आरोपण भी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की राशि को स्थगित करते हुए, शेष कर व ब्याज की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये दोनों प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में कर व ब्याज की बकाया मांग राशियों की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग	चाहा गया स्थगन
1627/15	2014–15	9,29,441	1,11,533	18,58,882	28,99,856	7,50,975
1628/15	2015–16 (11.05.2015 तक)	1,21,660	7,300	2,43,320	3,72,280	91,660

लगातार.....2

अपील संख्या – (1–2) 1627/2015 व 1628/2015..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुंझनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/11/2015	बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थी को थ्री स्टार कैटेगरी एवं हैरिटेज होटल मानते हुए कुक्ड फूड पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार सर्विस टैक्स का आरोपण भी विधिविरूद्ध किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए बकाया राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को थ्री स्टार व हैरिटेज होटल की कैटेगरी में सम्मिलित किये जाने के कारण, अपीलार्थी तदनुसार कर अदायगी का पात्र है। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से कम दर से माल का विक्रय किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए, अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। कर व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मननं करने तथा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरणों में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरणों में बकाया शेष राशि **रूपये 7,50,975/– एवं रूपये 91,660/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 5-11-2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 05.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	